

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2461 / 2011 / जयपुर.

मैसर्स लोट्स डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रा.लि.,  
1-माधव प्लाजा, सहकार मार्ग, लाल कोठी सब्जी मण्डी,  
जयपुर।

.....अपीलार्थी.

### बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-प्रथम,  
जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ  
श्री मदन लाल, सदस्य

### उपस्थित :

श्री एम.एल.बोरड,  
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30.01.2014

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त, (अपील्स-द्वितीय), वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 273/अपील्स-II/आर.वी.ए.टी./जयपुर/एन/2010-11 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 09.09.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24 के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिये पारित निर्धारण आदेश में आरोपित कुल ब्याज ₹3,77,157/- व वार्षित विवरणी प्रपत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति ₹300/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2007-08 के कर निर्धारण हेतु प्रस्तुत रेकार्ड की जांच में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि व्यवहारी ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 (जिसे आगे 'योजना-2003' कहा जायेगा) के तहत देय ब्याज अनुदान राशि राजकोष में जमा होने की तिथि से पूर्व ही देय वेट पेटे समायोजन क्लेम किया है, इसलिए राजकोष में जमा तिथि तक का वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज आरोपित किया गया। इसी प्रकार कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित बिकी विवरण प्रपत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति 300/- आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय

अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किया। जिससेस व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी को योजना-2003 के तहत Capital Investment Subsidy (Interest Component) का लाभ स्वीकृत है। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधि में देय लाभ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जाने के माह में देय कर पेटे समायोजन क्लेम किया गया था, लेकिन वास्तव में देय लाभ माह मार्च में राजकोष में आहरित होकर जमा हुआ। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने राजकोष में जमा होने की तिथि तक कर देरी से जमा मानकर ब्याज ₹3,77,157/- आरोपित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उनका तर्क है कि योजना-2003 के तहत देय लाभ का स्वीकृति आदेश जारी होने के माह में ही व्यवहारी द्वारा देय कर के विरुद्ध समायोजन लिया गया है, इसलिए ब्याज देय नहीं बनता है। अपीलीय अधिकारी ने भी इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार कर विधिक त्रुटि की है, अतः उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित बिक्री विवरण प्रपत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति 300/- के संबंध में कथन किया शास्ति आरोपण से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया। अतः आरोपित शास्ति भी अविधिक होने का कथन कर, दोनों अंवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश विधिक प्रावधानों के अनुसार पारित किये गये हैं। उनका अग्रिम कथन है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 39(3) अनुसार भुगतान की तिथि वही मान्य होगी, जिस तिथि को राजकोष में नकद राशि जमा हुई हो, या चैक, ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक Encash हुआ हो। व्यवहारी द्वारा सब्सिडी का राजकोष में जमा होने से पूर्व स्वीकृति आदेश के आधार पर देय कर के विरुद्ध समायोजन ले लिया गया है, जो कि वास्तव में देरी से है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज उचित रूप से आरोपित किया गया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित बिक्री विवरण प्रपत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के

तहत शास्ति 300/- के संबंध में कथन किया शास्ति विधिक रूप से आरोपित की गयी है। अतः उक्त बिन्दु पर भी दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

१. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को योजना-2003 के तहत पूंजीगत निवेश अनुदान (Capital Investment Subsidy) ब्याज अंश (Interest Component) का लाभ सक्षम स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत है। यह लाभ निवेशक को त्रैमासिक आधार पर योजना-2003 में विहित शर्तों पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर सब्सिडी रिलीज ऑर्डर जारी किया जाता है। योजना-2003 के तहत सब्सिडी का आहरण बजट के आधार पर राजकोष (Treasury) में अग्रिम देय कर के पेटे जमा किया जाता है (सब्सिडी का नगद भुगतान नहीं किया जाता है)। जब सब्सिडी, सब्सिडी के बजट शीर्षक से आहरित होकर बुक एन्ट्री द्वारा या चालान द्वारा व्यवहारी के खाते में जमा होती है तभी यह राजकोष में व्यवहारी द्वारा देय कर पेटे जमा होती है। 'योजना-2003' के वलॉज 7(1) के प्रावधानानुसार नये विनिवेश अथवा विस्तार/ नवीनीकरण में निवेश सब्सिडी की अधिकतम सीमा, देय कर एवम् कर भुगतान की 50 प्रतिशत होगी अर्थात् कर जमा करवाया जाना प्रथम शर्त है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 39(3) के तहत राजकोष में कर भुगतान को स्पष्ट किया गया है। प्रावधान के सुसंगत अंश इस प्रकार हैं —

39. General mode of payment of tax, demand or other sum.-

- (1) .....
- (2) .....
- (3) The date of payment for the purpose of these rules shall be the date on which cash is deposited, or a demand draft/ banker's cheque/cheque is encashed and deposited in the account of the State Government.

9. उक्त प्रक्रिया के मद्देनजर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के पक्ष में जारी सब्सिडी रिलीज ऑर्डर मात्र आदेश होता है, जिसके आधार पर बिल बनाकर सब्सिडी के विहित मद से राजकोष से भुगतान किया जाता है तथा भुगतान व्यवहारी द्वारा देय नियमित कर पेटे चालान या बुक एन्ट्री द्वारा समायोजित कर लिया जाता है।

10. उक्त प्रावधानानुसार कर का भुगतान राजकोष में राशि जमा होने की तिथि से ही होता है जो कि नहीं करवाया गया है। तब तक का ब्याज आरोपित करने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 55 का अध्ययन भी करना समीचीन होगा जो इस प्रकार है:-

✓

**55. Interest on failure to pay tax or other sum payable. —**

(1) Where any person or a dealer commits a default in making the payment of any amount of —

- (a) tax leviable or payable; or
- (b) any amount of tax, fee, penalty or interest assessed or determined; or
- (c) any other amount payable by him,


within the specified time under the provisions of this Act or the rules made or notifications issued thereunder, he shall be liable to pay interest on such amount at such rate, as may be notified by the State Government from time to time, for the period commencing from the day immediately succeeding the date specified for such payment and ending with the day on which such payment is made.

11. उक्त प्रावधान अनुसार कर उद्ग्रहणीय या संदेय (leviable or payable) विहित समय पर जमा नहीं होने पर ब्याज आरोपणीय है।

12. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित बिक्री विवरण प्रपत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति 300/- विधिक रूप से आरोपित की गयी है। अतः उक्त बिन्दु पर भी दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की जाती है।

13. परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

  
30.1.2014  
( मदन लाल )  
सदस्य